

पत्रांक : 194 / 10-मान./का०ब०वि०प्रा०/2026-27

दिनांक : 07/4/26

## कार्यालय आदेश

मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित वर्तमान में प्रभावी विभिन्न शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शुल्कों का विवरण निम्नवत् है :-

### 1. विकास शुल्क

क्र. सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2025-26 की दर (रु प्रति वर्गमी० में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दर (रु प्रति वर्गमी० में)
01	विकास शुल्क	1510.00	1565.00

### 2. विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस

क्र. सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2025-26 की दर (रु प्रति वर्गमी० में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दर (रु प्रति वर्गमी० में)
01	विकास परमिट फीस		
	(एक) 1.0 हे० तक भूमि के विकास के लिये	10,000.00	10359.00
	(दो) 1.0 हे० से अधिक और 2.5 हे० तक	20,000.00	20718.00
	(तीन) 2.5 हे० से अधिक और 5.0 हे० तक	30,000.00	31077.00
	(चार) 5.0 हे० से अधिक	30,000/- + इसके ऊपर प्रत्येक 05 हे० अतिरिक्त या इसके भाग के लिए 15,000.00	31077/- + इसके ऊपर प्रत्येक 5 हे० अतिरिक्त या इसके भाग के लिए 15538.00
02	भवन परमिट फीस		
	(एक) वाणिज्यिक/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/ शॉपिंग माल, सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग, कार्यालय उपयोग	30.00	32.00
	(दो) समूह आवास	15.00	16.00
	(तीन) भूखण्ड आवासीय और अन्य उपयोग	5.00	6.00
		100 वर्गमी० तक के आकार वाले भूखण्डों (आवासीय हेतु) और 30 वर्गमी० तक के आकार वाले भूखण्डों (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) के लिए भवन परमिट फीस 1.00 रुपये होगी।	
03	निरीक्षण फीस		
	(क) निरीक्षण फीस (अभिन्यास रेखांकन)	10.00	11.00

(ख) निरीक्षण फीस (एक मंजिला या बहु मंजिला) भवन के कुल फर्शीय क्षेत्रफल पर	20.00	21.00
	100 वर्गमी. तक आकार वाले आवासीय भूखण्डों तथा 30 वर्गमी० वाले व्यवसायिक भूखण्डों हेतु निरीक्षण शुल्क देय नहीं होगा।	

### 3. जल शुल्क

क्र०सं०	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2023-24 की दर (रु प्रति वर्गमी० में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दर (रु प्रति वर्गमी० में)
01	जल शुल्क	50.00	57.00

### 4. अम्बार शुल्क

क्र०सं०	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2019-20 की दर (रु प्रति वर्गमी० में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दर (रु प्रति वर्गमी० में)
01	अम्बार शुल्क	40.00	53.00

### 5. शमन शुल्क

क्र. सं.	भवन उपविधि-2025, शमन अध्याय-16 में प्रति वर्गमी० के आधार पर उल्लिखित दर (रुपये में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दरें (रु० प्रति वर्गमी०)	क्र. सं.	भवन उपविधि-2025, शमन अध्याय-16 में प्रति वर्गमी० के आधार पर उल्लिखित दर (रुपये में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दरें (रु० प्रति वर्गमी०)
01	25.00	26.00	09	368.00	382.00
02	38.00	40.00	10	383.00	397.00
03	50.00	52.00	11	491.00	509.00
04	62.00	65.00	12	736.00	763.00
05	123.00	128.00	13	982.00	1018.00
06	185.00	192.00	14	6132.00	6352.00
07	196.00	204.00	15	1,22,640.00	1,27,032.00
08	246.00	255.00			

### 6. भू-उपयोग जानकारी हेतु शुल्क

शुल्कों का प्रकार	वर्ष 2008-09 हेतु दर	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दर
0.1 हेक्टेयर तक	200/-	रु०- 549.00
0.1 से 0.5 हेक्टेयर तक	500/-	रु०- 1373.00
0.5 से 1 हेक्टेयर तक	1000/-	रु०-2745.00
1.00 हेक्टेयर से 2.00 हेक्टेयर तक	1500/-	रु०-4117.00
2.00 हेक्टेयर से अधिक	रु० 500/- प्रति हे० की दर से	रु०-1373.00 प्रति हे० की दर से।

7. लेबर सेस

लेबर सेस 19000 का 1% = 190 प्रति वर्गमी० (कवर्ड एरिया पर)

8. लाईसेन्स फीस (उ०प्र० टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत)

क्र. सं.	नगर का आकार (जनगणना-2011)	वर्ष 2023-24 हेतु लाईसेन्स फीस	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दरें लाईसेन्स फीस
01	10 एवं अधिक आबादी	रु० 2.00 लाख प्रति एकड़+जी०एस०टी०	रु० 216095.00 प्रति एकड़ +जी०एस०टी०
02	05 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम	रु० 1.00 लाख प्रति एकड़+जी०एस०टी०	रु० 108050.00 प्रति एकड़+जी०एस०टी०
03	05 लाख से कम	रु० 0.50 लाख प्रति एकड़+जी०एस०टी०	रु० 54025.00 प्रति एकड़+जी०एस०टी०

9. नगरीय विकास प्रभार

क्र. सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2014-15 हेतु	वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित दरें
01	नगरीय विकास प्रभार	रु० 150.00 प्रति वर्गमी०	रु० 235.00 प्रति वर्गमी०

उपरोक्तानुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु दरें दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होंगी तथा जिन प्रकरणों में मांग पत्र निर्गत किया जा चुका है, परन्तु निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की गयी है, उन प्रकरणों में भी वर्तमान दर लागू रहेगी।

सचिव

बरेली विकास प्राधिकरण,  
बरेली।

प्रतिलिपि सं०-

194

दिनांकित- 07/4/26

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. सक्षम प्राधिकारी प्रवर्तन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक नगर नियोजक/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ।
5. समस्त मानचित्र लिपिक को अनुपालनार्थ।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री नितिन कुमार, कार्मिक FASTPAS को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. गार्ड फाईल हेतु।

सचिव

बरेली विकास प्राधिकरण,  
बरेली।